न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–03/2016

पंजियन दि. 06.07.2016
निर्णय दि. 20.12.2017

वासुदेव पिता मानशंकर सेवक निवासी सागवाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती वंदना पत्नी ईश्वरलाल सेवक, निवासी सागवाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला–डूंगरपुर (राज.)
2. नगरपालिका सागवाड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. नगरपालिका सागवाड़ा जरिये अध्यक्ष नगरपालिका सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

––रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षीगण

अपील बनाराजगी आदेश नगरपालिका सागवाड़ा दिनांक 20.05.2013 जिसके द्वारा राज. स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत् जारी पट्टा क्रमांक 2013–14/1 दिनांक 21.05.2013 को निरस्त करने बाबत्

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश पटेल अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री हितेन्द्र पटेल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत् नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2013 के क्रम में रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्रीमती वंदना पत्नी ईश्वरलाल सेवक के नाम राज. स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत् सागवाड़ा स्थित सम्पत्ति क्षेत्र 27'6'' गुणा 20'1'' कुल क्षेत्र 61.56 वर्ग गज जिसके पूर्व में–रास्ता, पश्चिम में–ब्राह्मण समाज का नोहरा, उत्तर में– श्री दीपक सारगीया का मकान एवं दक्षिण में श्री दिलीप/सत्यनारायण सेवक का मकान स्थित है बाबत् पट्टा क्रमांक 2013–14/1

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

दिनांक 21.05.2013 को जारी किया गया था। अपीलान्ट ने नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा जारी उक्त पट्टे में वर्णित सम्पत्ति/भूखण्ड क्षेत्र पूर्व–पश्चिम 25 फीट एवं उत्तर–दक्षिण 20 फीट कुल क्षेत्र 500 वर्गफीट को श्री भूपेन्द्र कुमार जैन पिता फोजमल जैन निवासी सागवाड़ा से क्रय कर दस्तावेज विक्रय विलेख का दिनांक 22.08.2001 को उप पंजियक सागवाड़ा से पंजिकृत करवाना तथा नगरपालिका से विधिवत मंजुरी लेकर उस पर दो मंजिला पक्का मकान का निर्माण भी वर्ष 2005 में करवाया जाकर इस संपत्ति का स्वामित्व आज भी अपीलार्थी के पास होने से नगरपालिका सागवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2013 एवं पट्टा संख्या 2013–14/1 दिनांक 21.05.2013 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब की तरफ से वकलात पत्र प्रस्तुत कर अभिभाषक नियुक्त किये गये एवं लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुए। नगरपालिका सागवाड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गई।

उभय पक्षो की बहस समायत की गई। अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक का कथन है कि मौजा सागवाड़ा स्थित आवासीय भूखण्ड क्षेत्र 20'×25' अर्थात् 500 वर्गफीट का भूखण्ड जिसके पूर्व में गलीनुमा रास्ता, पश्चिम में– खेडूवा ब्राह्मण समाज को नोहरा, उत्तर में–श्री दिलीप कुमार शर्मा का मकान ह व दक्षिण में श्री सत्यनरायण सेवक का मकान है को अ पीलान्ट द्वारा उसके स्वामी श्री भूपेन्द्र कुमर जैन से क्रय किया जाकर दस्तावेज विक्रय विलेख को दिनांक 20.08.2001 को तकमील कर दिनांक 22.08.2001 को वास्ते पंजियन प्रस्तुत कर इसका विधिवत पंजियन दिनांक 30.08.2001 को उप पंजियक सागवाड़ा से कराया गया है। क्रय किये उक्त भूखण्ड पर नगरपालिका सागवाड़ा से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करते हुए वर्ष 2005 में इस पर दो मंजिला पक्का मकान बनाया गया है जिसका स्वामित्व आज भी अपीलार्थी के पास ही है। अपीलार्थी के अभिभाषक का आगे कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के समक्ष गलत तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए षडयंत्रपूर्वक फर्जी तरीके से स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् पट्टा प्राप्त कर लिया है, जिसका कोई कानूनी वजूद नही होकर निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के अभिभाषक का यह भी कथन है कि राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् ऐसी सम्पत्तियों बाबत् ही पट्टा जारी किया जा सकता है जो पुरानी–पुश्तैनी एंव पेतृक हो तथा उस पर प्रार्थी का चालिस वर्षो से अधिक का

न्यायालय जिला कलक्टर (बांसवाड़ा)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

स्वामित्व एवं कब्जा हो। साथ ही ऐसी संपत्ति बाबत् कोई विधिक दस्तावेज भी न हो। इस मामले में तो अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2001 में विधिवत पंजिकृत दस्तावेज से भूखण्ड क्रय कर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए वर्ष 2005 में निर्माण कराया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा मीस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड तरीके स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत् पट्टा प्राप्त किया है, जिसे निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् आवश्यक सभी औपचारिकताएँ एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार नगरपालिका से पट्टा प्राप्त किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करा इस बाबत् आपत्ति भी आमंत्रित की गई थी, किन्तु उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि अपीलान्ट की अपील अवधि से भी बाधित है, जिससे अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से भी लिखित जवाब के क्रम में कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने बाबत् पुरी प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने यदि गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर पट्ट प्राप्त किया है तो उस हेतु वह स्वयं ही उत्तरदायी है। आगे यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने उक्त भूखण्ड क्रय करने के पश्चात् नियमानुसार निर्माण मंजुरी ली थी। आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी के वकील के नोटिस के उपरान्त ही उन्हें रेस्पोउेन्ट सं. 1 के प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरपालिका को गुमराह कर शपथ पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत कर मकान का पट्टा बनवाया है तो उसे निरस्त किया जाता है तो उन्हें आपत्ति नही है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के जवाब से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा मौजा सागवाड़ा में 20'×25' फीट अर्थात् 500 वर्गफीट का एक भूखण्ड जो पूर्व में गलीनुमा रास्ता, पश्चिम में ब्राह्मण समाज को नोहरा, उत्तर में श्री दिलीप कुमार शर्मा का मकान एवं दक्षिण में श्री सत्यनारायण सेवक का मकान है के मध्य स्थित है, को उसके स्वामी श्री भूपेन्द्र कुमार जैन से वर्ष 2001 में जरिये पंजिकृत दस्तावेज के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा इस पर नगरपालिका सागवाड़ा से मंजुरी लेकर वर्ष 2005 में मकान

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

का निर्माण करवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम राज. स्टेट ग्राण्ट एक्ट 1961 के तहत् जारी पट्टा क्रमांक 2013–14/1 दिनांक 21.05.2013 में वर्णित क्षेत्र एवं चतु:सीमाएं तथा अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड में आमतौर पर साम्यता होकर यह एक ही भूखण्ड होना पाया जाता है, तथा इसी कारण यह भी पाया जाता है रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने मिथ्या साक्ष्य, शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नगरपालिका सागवाड़ा में गलत जानकारी प्रस्तुत करते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगरपालिका के एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2013 के क्रम में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत् अपीलाधीन पट्टा क्रमांक 2013–14/1 दिनांक 21.05. 2013 को प्राप्त कर लिया है। राजस्थान स्टेट ग्राण्ट एक्ट 1961 के तहत् आबादी क्षेत्र में पुरानी पुश्तैनी एवं पेतृक संपत्ति जिस पर प्रार्थी का 40 वर्षो से अधिक का निरन्तर कब्जा हो, उसके स्वामित्व बाबत् विधिक दस्तावेज नही हो तथा वह पडौसी, स्वतंत्र साक्षीगणों द्वारा प्रमाणित हो ऐसी संपत्ति बाबत् ही स्वामित्व के सबूत के तौर पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जारी पट्टा इस श्रेणी का नही है। उक्त पट्टे के संबंध में अपीलार्थी के पास विधिक दस्तावेज के रूप में पंजिकृत दस्तावेज उपलब्ध है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा गलत जानकारी प्रदान करते हुए प्राप्त पट्टे का समर्थन नही किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी की अपील को अवधि में शुमार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2013 में पारित निर्णय के क्रम में रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्रीमती वन्दना पत्नी ईश्वरलाल सेवक निवासी सागवाड़ा के नाम मौजा सागवाड़ा की संपत्ति बाबत् जारी पट्टा क्रमांक 2013–14/1 दिनांक 21.05. 2013 को निरस्त किया जाता है। नगरपालिका सागवाडा से प्राप्त पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

21/12/2017

(राजेन्द्र भटट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर